

पटाखों पर पूर्ण प्रतर्बिंध से केंद्र का इनकार

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्र सरकार ने पटाखों पर राष्ट्र सतरीय प्रतर्बिंध लगाने से इनकार कर दिया और दवाली के दौरान प्रदूषण को रोकने के वैकल्पिक उपायों के रूप में प्रमुख शहरों में "हरति पटाखों" के उत्पादन, सामुदायिक रूप से पटाखे फोड़ने और शरूखला में पटाखों या लड़ियों के उत्पादन पर नयितरण का सुझाव दिया।

प्रमुख बदि

- केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को सुझाए गए अन्य सुझावों में कहा कि राज्य सरकारों द्वारा पूर्व नरिधारति जगहों पर भी पटाखे फोड़े जा सकते हैं।
- सर्वोच्च न्यायालय आपातकालीन आधार पर प्रदूषण से नपिटने के लिये किसी भी प्रकार के पटाखों और फुलझड़ियों के उपयोग, नरिमाण, लाइसेंसिंग, बकिरी, पुनर्वकिरय या वतिरण पर पूरी तरह से राष्ट्रव्यापी प्रतर्बिंध लगाने की मांग से संबंधति शकियतों के एक समूह पर सुनवाई कर रहा था।
- पटाखा नरिमाताओं ने अदालत से इस साल दवाली का मौसम शुरू होने से पहले अगस्त में केंद्र द्वारा दिये गए सुझावों को गति देने का आग्रह किया।

केंद्र सरकार द्वारा दिये गए महत्त्वपूर्ण सुझाव

- केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने प्रदूषण की समस्या से नपिटने और दवाली के दौरान प्रदूषण का मुकाबला करने के लिये अल्पकालिक उपायों को तैयार करने के तरीकों का सुझाव देते हुए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पाँच पृष्ठ का एक शपथ-पत्र प्रस्तुत किया।
- केंद्र सरकार ने दवाली के दौरान प्रदूषण से नपिटने के लिये वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR), राष्ट्रिय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान (NEERI), पेट्रोलियम और वसिफोटक सुरक्षा संगठन (PESO), केंद्रीय प्रदूषण नयितरण बोर्ड (CPCB) जैसे संस्थानों को एक साथ मलिकर काम करने का सुझाव दिया।
- सरकार ने कच्चे माल की नरिपण सुवधाओं (Raw Material Characterization Facilities-RMCF) की स्थापना का सुझाव दिया ताकि पटाखों में बनिा जली सामग्री, आंशिक रूप से जली हुई सामग्री की उच्च मात्रा या गन पाउडर में खराब गुणवत्ता की कच्ची सामग्री की उपस्थति की जाँच हो सके।
- केंद्र सरकार ने 'कम उत्सर्जन वाले पटाखे या उन्नत पटाखों' का उपयोग करने का प्रस्ताव रखा। ये पटाखे "30-35% तक PM कमी के साथ नमिन ध्वनि वि नमिन प्रकाश उत्सर्जक हैं और नमिन प्रदूषणकारी के रूप में अंतरस्थाने (इन-सीट्ट) जल उत्पादन के दौरान नाइट्रोजन ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड में महत्त्वपूर्ण कमी करते हैं तथा नमिन लागत वाले ऑक्सीडेंट्स के कारण कम लागत के हैं।"
- सरकार ने कहा कि PESO से यह सुनिश्चति करने के लिये संपर्क किया जा सकता है कि पटाखों में स्वीकृत रसायनों और नरिधारति किये गए डेसीबल स्तरों का उपयोग किया जा रहा है या नहीं। PESO लथियिम, आर्सेनिक, एंटीमोनी, सीसा, पारा जैसे प्रतर्बिंधति पदार्थों के लिये परीक्षण शुरू कर सकता है।
- CPCB और संबंधति राज्य प्रदूषण नयितरण बोर्ड 14 दिनों (दवाली से सात दिनि पहले और दवाली के सात दिनि बाद तक) के लिये पटाखा फोड़ने के संबंध में सीपीसीबी द्वारा प्रस्तावति अल्पकालिक वायु गुणवत्ता परविश के वरिद्ध नयिमक मानकों के अलावा एलयुमिनियम, बेरियम, आयरन के मानकों के लिये अपने शहरों में अल्पकालिक नगिरानी करेंगे।